

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ****आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या- 1799 वर्ष 2026**

प्रभाकर मिश्र

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से एवं एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : शशांक शुक्ला, प्रणव मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 16**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

आवेदक की ओर से दायर अनुपूरक हलफनामा पत्रावली पर लिया जाता है।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री निर्मल कुमार पांडे को सुना गया।

विपक्षी संख्या 2 को नोटिस देने से छूट दिया जाता है क्योंकि आवेदन पर ग्राह्यता के चरण में ही निर्णय लिया जा रहा है।

वर्तमान आवेदन दिनांक 18.01.2025 के समन आदेश के साथ-साथ आरोप-पत्र संख्या 3 जो अपराध संख्या 27/2023 अंतर्गत धारा 420, 166, 120बी भारतीय दंड संहिता, थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा से उत्पन्न कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि 11.2.2010 को शिव प्रसाद नामक व्यक्ति द्वारा

विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में एक वसीयतनामा निष्पादित किया गया था, और उसके बाद, दिनांक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

23.7.2010 को एक अपंजीकृत वसीयत शिव प्रसाद द्वारा स्वयं ब्रिजेश कुमार अवस्थी के पक्ष में निष्पादित की गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक रजिस्ट्रार, पंजीकरण विभाग के कार्यालय में क्लर्क/सहायक है और जहां तक धारा 166 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है, उस पर आरोप लगाया गया है, यह लागू नहीं है, क्योंकि इसे केवल उस स्थिति में बदला जा सकता है, जहां कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या किसी को ज़बती की सजा से बचाने के विशिष्ट इरादे से जानबूझकर किसी कानून की अवज्ञा कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि विलेख के पंजीकरण के लिए आवेदक पर कोई कर्तव्य नहीं लगाया गया है, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के तहत अपराध का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

अपनी दलीलें जोड़ते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान आवेदक की ऐसे किसी भी विलेख के पंजीकरण में कोई भूमिका नहीं है और पंजीकरण मैनुअल के नियम 300 के साथ पढ़े गए नियम 40 और 41 के तहत निर्धारित रजिस्ट्रार के पास यह निहित है, इस प्रकार, यह प्रस्तुत करना है कि आवेदक के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही जांच अधिकारी इस पर विचार करने में विफल रही है और विचारण न्यायालय ने भी समन जारी करते समय इसे नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए आवेदक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है।

दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि, उपरोक्त आरोपों को छोड़कर, आवेदक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत अपराध भी लगाया गया है। उनका कहना है कि यदि कोई आरोप गलत तरीके से लगाया गया है, तो आवेदक के पास आरोपमुक्ति आवेदन दायर करने का अवसर है, इसलिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपों के अनुसार, आवेदक द्वारा धोखाधड़ी और जालसाजी की गई है, और आवेदक पंजीकरण रजिस्ट्रार के कार्यालय में एक सहायक क्लर्क है, और वर्तमान आवेदक सहित सभी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 166 और 120 बी का आरोप लगाया गया है। जांच अधिकारी ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया है और मजिस्ट्रेट ने तथ्यों को देखने के बाद समन जारी किया है।

इस न्यायालय ने पाया कि यदि आवेदक अपने खिलाफ लगाए गए भारतीय दंड संहिता की धारा 166 से व्यथित था, तो उसके लिए आरोपमुक्ति आवेदन दायर करने के लिए कानूनी सहारा उपलब्ध है। स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के साथ-साथ धारा 420 एवं 120बी भारतीय दंड संहिता भी लगाई गई है। इस दृष्टि से, इस न्यायालय को हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं दिखता।

मैंने यह भी विचार किया है कि विचारण न्यायालय प्रासंगिक चरण में आरोप को परिवर्तित कर सकता है।

उपरोक्त के मद्देनजर, वर्तमान आवेदन में कोई योग्यता नहीं है और परिणामस्वरूप, इसे आवेदक को उचित चरण में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उचित उपाय अपनाने की स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है।

मार्च 25, 2026

राम मूर्ति/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।